

Remanded वादपत्र संख्या 13 / 2018

अन्तर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
07.02.2018	<p>मा. राजस्व मण्डल राज, अजमेर द्वारा जारी पत्रांक टी.ए./अपील/3105/ 2016/ गंगानगर/25.01.18/1934 दिनांक 1 फरवरी, 2018 (प्राप्त दिनांक 6 फरवरी, 2018) के संलग्न अपील संख्या 3105/2016 शीर्षक सुभाषचन्द व अन्य बनाम श्रीमती शान्तिदेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसके अनुसार इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 68/2013 शीर्षक श्रीमती शान्तिदेवी बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है कि दोनो पक्षों को दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का नियमानुसार अवसर देते हुये विधि सम्मन निर्णय पारित किया जावे. प्रकरण दर्ज पंजिका हो. पक्षकारान के अधिवक्तागण को सूचित हो/पक्षकारों की तलबी हेतु नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28 फरवरी, 2018 को पेश हो. हो.</p> <p style="text-align: center;">(हस्ताक्षर)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p>	<p style="text-align: right;">283-294 16/2/18</p>
20.2.XVIII	<p>वाक्या की तलबी हेतु जारी पत्रांक पर पत्रांक - 2018/18/1934 दिनांक 1 फरवरी, 2018 के संलग्न अपील संख्या 3105/2016 शीर्षक सुभाषचन्द व अन्य बनाम श्रीमती शान्तिदेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25 जनवरी, 2018 के अनुसार इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 68/2013 शीर्षक श्रीमती शान्तिदेवी बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है कि दोनो पक्षों को दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का नियमानुसार अवसर देते हुये विधि सम्मन निर्णय पारित किया जावे. प्रकरण दर्ज पंजिका हो. पक्षकारान के अधिवक्तागण को सूचित हो/पक्षकारों की तलबी हेतु नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28 फरवरी, 2018 को पेश हो. हो.</p> <p style="text-align: center;">(हस्ताक्षर)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p>	<p style="text-align: right;">21.3.XVIII</p>
21.3.XVII	<p>पत्रावली संख्या 21.2.2 के अन्तर्गत जारी नोटिस श्री सुभाष गुम्बर व अन्य बनाम श्रीमती शान्तिदेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25 जनवरी, 2018 के अनुसार इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 68/2013 शीर्षक श्रीमती शान्तिदेवी बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है कि दोनो पक्षों को दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का नियमानुसार अवसर देते हुये विधि सम्मन निर्णय पारित किया जावे. प्रकरण दर्ज पंजिका हो. पक्षकारान के अधिवक्तागण को सूचित हो/पक्षकारों की तलबी हेतु नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28 फरवरी, 2018 को पेश हो. हो.</p> <p style="text-align: center;">(हस्ताक्षर)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p>	<p style="text-align: right;">18.4.XVIII</p>



08.10.24

अधिवेशन 35) पत्राची वार्ता
जीवन का फल है दिनांक 08.10.24
को पत्र है

06.11.24

अधिवेशन 36) पत्राची वार्ता
जीवन का फल है दिनांक 12.12.24
को पत्र है

19.12.24

अधिवेशन 37) पत्राची वार्ता
जीवन का फल है दिनांक 08.11.24
को पत्र है

08/01/25

अधिवेशन 38) पत्राची वार्ता नहीं। वारीग
उपरोक्त नहीं। न्यायालय समय में का-2
कम-कमक आवाजें लगाए जाने पर भी
कोई उपस्थित नहीं आये। अग प्रकृत
सं. 13/2018, अन्यायी वीपीएन। दिनेश
वनाय सुभाष गुम्बर व अरुण अरुणपेखी /
अस एजरी में खरिज किया जाय।
पत्राची नस्ली कर दो पत्राची राष्ट्रपति
के उक्त उक्त की वार्ता मि. वि. वी. वी.
से शान्ति को है